MR. DEPUTY SPEAKER : Order please. Shri Bhagat. Next item.

14.54 hrs.

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

THIRTY-SIXTH REPORT

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI H.K.L. BHAGAT)

I beg to move :

"That this House do agree with the Thirty-sixth Report of the Business Advisory Committee presented to the House on the 12th October, 1982."

MR. DEPUTY SPEAKER : The question is :

"That this House do agree with the Thirty-sixth Report of the Business advisory Committee presented to the House on the 12th October, 1982."

The motion was adopted.

13.53 hrs.

The Lok Sabha then adjourned for lunch till Fifty minutes past Fourteen of the Clock.

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Fifty Minutes past Fourteen of the clock.

[SHRI V.N. GADGIL *in the chair.*]

MATTERS UNDER RULE 377

(i) RATIONALISATION OF LICENECING POLICY FOR FIRE ARMS

श्री राम लाल राही (मिसरिख) : सभापति महोदय, भारत में आजादी के बाद से बचाव और सुरक्षा के नाम पर आग्नेय अस्त्रों के लाइसेंस दिये जाने में अभिवृद्धि की जाती रही है। जिस गति से आग्नेय अस्त्रों का सरकार ने वितरण कराया है, उसी गति से अपराधों की वृद्धि हुई है। आग्नेय अस्त्रों के वितरण पर प्रतिबन्ध लगाने अथवा उन पर से नियंत्रण हटाने सम्बन्धी सुझाव आते रहे हैं। पर सरकार इस संबंध में अपनी नीति स्पष्ट नहीं कर सकी है। जिन हाथों तक आग्नेय अस्त्र पहुंच गये हैं, वह निहत्थे और कमजोर लोगों को भयभीत किये हैं।

इस संबंध में उत्तरप्रदेश सरकार की नीति साफ नहीं है। ऐसा लगभग सभी प्रान्तों में है। आग्नेय अस्त्र प्राप्त करने के लिए जनपदों में प्रतिदिन सैकड़ों लोग जिलाधिकारी को आवेदन-पत्र दे रहे हैं। कोर्ट फीस से लेकर बचत पत्र तक खरीदवाये जाते हैं। यही नहीं, जांच अधिकारी जांच रिपोर्ट लिख, उन्हें आग्नेय अस्त्र रखने का पात्र घोषित कर देते हैं, फिर भी बरसों आवेदन-पत्र पड़े रहते हैं और वर्ष के अंतिम दिनों में रद्द कर दिये जाते हैं। हजारों रुपया बर्बाद करने वाले लोग अन्त में निराश हो जाते हैं।

केन्द्रीय सरकार से मांग है कि वह आग्नेय अस्त्रों के लाइसेंस देने के बारे में कोई स्पष्ट नीति घोषित करे और प्रान्तीय सरकारों को निर्देशित करे।

MR. CHAIRMAN : Only that portion will go on record which is approved by the Speaker. Only that text.

श्री रामलाल राही : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने नियम 377 के अधीन जो वक्तव्य लिख कर चेयर को दिया, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है, जो आक्षेपात्मक हो।